

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकप.1(9)वित्त/राजस्व/2010

जयपुर, दिनांक-125 JAN 2018


आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.11.2015 द्वारा राजस्थान लेखा सेवा में दो वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त निम्न अधिकारियों को राजस्थान लेखा सेवा नियमों के नियम 35 के अंतर्गत उक्त सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर इनके द्वारा हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति/सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 26.11.2017 से स्थाई किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1.	रामावतार शर्मा
2.	चित्रा जोशी
3.	भारती हरजवानी
4.	भागीरथ सिंह लखावत
5.	सीमा कौशल
6.	जितेन्द्र कुमार जैन
7.	नाथूराम ढाका
8.	सीमा यादव
9.	श्याम सुन्दर विश्नोई
10.	लोकेन्द्र सिंह
11.	अंजनी कुमार शर्मा
12.	धीरज कुमार सोनी
13.	रतन सिंह सान्धू
14.	आशापाल मौर्य (अजा)
15.	सत्येन्द्र बसवाल (अजा)
16.	राम धन (अजा)
17.	प्रीति वर्मा (अजा)
18.	मन्जु देवी (अजजा)
19.	मुकेश कुमार मीणा (अजजा)
20.	डॉ. कमलेश उपाध्याय


नोट:- वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या प.1(12)वित्त/नियम/06पार्ट-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसार प्रोबेशन अवधि में बिना परीवीक्षाकाल में वृद्धि किये अधिकतम 30 दिवस के असाधारण अवकाश का उपभोग किया जा सकता है, लेकिन क्रम संख्या 11 पर अंकित श्री अंजनी कुमार शर्मा, लेखाधिकारी (प्रशिक्षु) द्वारा परीवीक्षा अवधि

में दिनांक 09.06.2017 से 09.07.2017 तक (कुल 31 दिवस) का असाधारण अवकाश का उपभोग किया है, इसलिये श्री शर्मा को दिनांक 27.11.2017 से स्थाई किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
3. संयुक्त निदेशक, सह सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित अधिकारी।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव